Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 105-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 10, 2025 (JYAISTHA 20, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2025

संख्या 27/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 58/2025.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल आवश्यक समझते हैं कि नियम तुरन्त लागू होने चाहिए; इसलिए, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 58 की उप–धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये जून, 2025 के बारहवें दिन से लागू होंगे।

2. हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 में, नियम 5 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) इन नियमों के अन्य उपबंधों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नीति/आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन, शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित फीस संरचना पर प्ररुप अनु0–52 (शराब खाना) में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगीः–

क्रम संख्या	जिला के नाम	जोन में शराब खाना के लिए निर्धारित फीस
1	2	3
1.	गुरूग्राम	जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 4 प्रतिशत
2.	फरीदाबाद, पंचकुला तथा सोनीपत	जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 3 प्रतिशत
3.	अन्य शेष जिले	जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 1 प्रतिशत

शराबखाना चारदिवारी के बिना किसी स्थान में संचालित नहीं किया जाएगा। शराबखाना एकांत में तथा बन्द होगा तथा सार्वजनिक मार्ग या चौराहा पर नहीं होगा, जिसका उपयोग जनसाधारण के लिए किया जा रहा है। भूतल पर शराबखाना का क्षेत्र छत से ढ़का होगा। साधारणतः शराबखाना राहगीरों के लिए दृश्यमान नहीं होगा तथा ऐसे स्थान में पहुंच उचित सीमांकित प्रवेश के द्वारा होनी चाहिए। शराबखाना का संचालन केवल दुकान से लगे स्थान के भूतल और/या प्रथम तल पर ही किया जा सकता है। रसोई, भंडारण, शौचालय और खुले या ढके हुए बैठने के क्षेत्र (क्षेत्रों) सहित शराबखाने का कुल क्षेत्रफल सभी मंजिलों के लिए 1000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। शराबखाना का क्षेत्र, शराबखाना के अनुमोदन के समय उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा। शराबखाना में किसी भी रीति में मदिरा बेची या परोसी नहीं जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी शराबखाने में किसी भी तरह के लाइव गायन, नृत्य, नाट्य प्रदर्शन या मनोरंजन की अनुमति नहीं देगा।

मदिरा उपभोग के लिए अधिकृत पीने के स्थानों को ''शराबखाना'' के रूप में जाना जाएगा। शराबखाने का क्षेत्र उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा शराबखाने के अनुमोदन के समय अनुमोदित किया जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से आगे अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रति खुदरा जोन में केवल एक शराबखाना अनुज्ञात किया जाएगा। प्ररुप अनु0–52 में शराबखाना अनुज्ञप्ति शहरी क्षेत्रों और उप–शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निगम/परिषद्/समितियों की बाहरी सीमा और अन्य राज्यों के साथ सीमाओं से पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले मदिरा के खुदरा ठेके केवल (अनु0–14क/अनु02) के साथ प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महानगर विकास प्राधिकरण (जैसे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण तथा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण इत्यादि) के अधीन आने वाले क्षेत्रों और ऐसे स्थान, जहां हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट औद्योगिक पार्क जैसे औद्योगिक आदर्श नगरक्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगरक्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगरक्षेत्र, रोहतक, सूचना प्रौद्योगिक पार्क, मानेसर, सूचना प्रौद्योगिक पार्क पंचकूला इत्यादि विकसित किए हैं, में भी शराबखाना प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण खुदरा दुकान से लगे 400 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में बनी दुकान में एक स्नैक बार खोलने की अनुमति होगी। यह सुविधा केवल 10000 या उससे अधिक आबादी वाले गॉवों में स्थित ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए आबकारी नीति वर्ष 2025–2027 के अनुसार ₹1,00,000 की फीस पर दी जाएगी।

शराबखाना के लिए अनुज्ञप्ति संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा प्रदान की जाएगी। शराबखानों का संचालन हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस सम्बन्ध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नीति/आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। यदि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी स्वयं शराबखाना चलाने का इरादा नहीं रखता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति को शराबखाना चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को पंजाब नशीली वस्तुओं के लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के अधीन प्रतिबंधित नहीं किया होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी उल्लंघन या आबकारी अधिनियम के उपबंधों/मानदंडों और नियमों और नीति के अधीन अधिरोपित शर्तों के भंग करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः जिम्मेदार होंगे।

अनुज्ञप्तिधारी से उचित ढांचा तथा फर्नीचर रखना तथा सफाई तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण बनाए रखने की अपेक्षा की जानी है। शराबखाना चलाने वाले अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत व्यक्ति के पास माल और सेवा कर और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पंजीकरण होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक अग्निशमन उपकरण भी स्थापित करेगा और हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (2022 का 14) यदि लागू हो, के मानदंडों की अनुपालन करेगा।''।

आशिमा बराड,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 10th June, 2025

No. 27/X-l/P.A.1/1914/S.58/2025.— Whereas the Governor of Haryana considers necessary that the rules should be brought into force at once; so in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-sections (2) and (3) of section 58 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2025.

2. In the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to other provisions of these rules and policy/orders/instructions issued by the competent authority, a license in form L-52 (Tavern) shall be granted in urban areas on the following fee structure:-

Serial Number	District	Fixed fee for Tavern in the Zone
1	2	3
1	Gurugram	4% of license fee of zone
2	Faridabad, Panchkula and Sonepat	3% of license fee of zone
3	Other remaining districts	1% of license fee of zone

The Tavern shall not be operated in an area without boundary. The space shall be confined to and enclosed and shall not be a thoroughfare or a crossing being used by the general public. The space shall not be ordinarily visible to the passersby and the access to such a space should be through a well-defined entry. Tavern shall only be operated on the ground and/or first floor of the space adjoining the vend. The total area of the Tavern, including area of kitchen, storage, washrooms and open or covered sitting area(s), shall not be more than 1000 square meters for all floors combined. The area of Tavern shall be approved by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of the Tavern and licensee shall not encroach beyond the area approved. Liquor shall not be sold or served in any manner in the Tavern.

The licensee shall not permit any live singing, dancing, theatrical performance or entertainment in the Tavern.

The authorized drinking places for consumption of liquor shall be known as "Taverns". The area of tavern shall be approved by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of Tavern and licensee shall not encroach beyond the area approved. Only one Tavern per retail zone shall be allowed. The tavern license in form L-52 shall be granted with the retail vends of liquor (L-14A/L-2) only in urban areas and sub-urban areas falling within 5 KMs from the outer limit of respective Municipal Corporation/ Council/ Committees and borders with other States. In addition, Tavern shall also be granted in the areas under Metropolitan Development Authorities (like Gurugram Metropolitan Development Authority, Panchkula Metropolitan Development Authority, Faridabad Metropolitan Development Authority and Sonepat Metropolitan Development Authority etc.), and places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and theme/specialized industrial parks like Industrial Model Townships Manesar, Industrial Model Townships Bawal, Industrial Model Townships Rohtak, Information Technology Park Manesar, Information Technology Park Panchkula, etc.

One Snack Bar shall be allowed to be opened in a built up shop of area upto 400 squar feet adjoining a rural retail vend. This facility shall be allowed only for rural retail vends located in villages having population of 10000 or above, at a Fee of Rs. 1,00,000/- as per the Excise Policy Year 2025-2027.

The license for tavern shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned. The taverns shall be operated strictly as per the provisions of the Haryana Excise Act 1914, rules framed thereunder and the Policy/Orders/Instructions issued by the competent authority in this regard. In case, the retail licensee does not intend to run tavern by himself/herself, the licensee with the approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned, authorize any other person for running tavern. Such authorized person shall not have been barred under the Punjab Intoxicant License and Sales Order, 1956. The licensee as well as authorized person shall be jointly and severally responsible for any violation or breach of provisions/norms of the Excise Act and rules and the conditions imposed under the Policy.

The licensee is required to have proper structure and furniture and to maintain cleanliness and hygienic environment. The licensee or his authorized person running Tavern, wherever legally required, shall have GST and FSSAI registration. The licensee shall install necessary fire-fighting equipment and comply with the norms of the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022 (14 of 2022), if applicable, in the approved premises of Tavern".

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

11921—C.S.—H.G.P., Pkl.